न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 07/2020(2020/00015)

अनवान : –

1. रणसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
2. सरबती पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
3. कलावती पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
4. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
5. धर्मपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
6. ज्ञानसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

स्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी

श्री सुरजीत बिजारणियां प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 30/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता सं 78/80 के खसरा नम्बर 10 की 5.692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19/1 की 5.629 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73/2 की 2.366 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 112/2 की 1.518 हैक्टेयर कुल खसरा 4 की 15.205 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा जीवणराम की खातेदारी हुआ करती थी। जीवणराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी सुरजाराम के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को हिन्दू परिवार के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी सुरजाराम कर्ता खान्दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी सुरजाराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सुरजाराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम को वादी के दादा जीवणराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 सरबती व प्रतिवादी संख्या 3 कलावती वादी की बहिन है, प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम वादी के पिता है जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रणसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गुंजासरी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी ग्राम गुंजासरी सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता सं 78/80 के खसरा नम्बर 10 की 5.692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19/1 की 5.629 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73/2 की 2.366 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 112/2 की 1.518 हैक्टेयर कुल खसरा 4 की 15.205 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सुरजाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कि[illegible] वकील वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादी संख्या [illegible] किया जाकर वादी रणसिंह को 3.289 है0, प्रतिवादी संख्या 4 [illegible] 3.567 है0, प्रतिवादी संख्या 5 धर्मपाल को 4.048 है0 व प्रतिवादी संख्या 6 ज्ञानसिंह [illegible] 4.301 है0 के अनुसार खातेदारी घोषित किये जाने की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति जरिये राजीनामा पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

की है। प्रतिवादी की तरफ से वादी के द्वारा चाहे गये अनुतोष का कोई खण्डन नही किया है एवं वादी के दावा को स्वीकार किया है।

ऐसी स्थिति में वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाने योग्य होने के कारण घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम गुंजारारी के वर्तमान खाता सं 78/80 के खसरा नम्बर 10 की 5.692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19/1 की 5.629 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73/2 की 2.366 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 112/2 की 1.518 हैक्टेयर कुल खसरा 4 की 15.205 हैक्टेयर बारानी खातेदारी जो सुरजाराम के नाम से दर्ज है। उसमें प्रतिवादी सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी रणसिंह को 3.289 है0, प्रतिवादी संख्या 4 हंसराज को 3.567 है0, प्रतिवादी संख्या 5 धर्मपाल को 4.048 है0 व प्रतिवादी संख्या 6 ज्ञानसिंह को 4.301 है0 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) [stamp]

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:36 IST
Reason: SelfAttested